फाइल सं0 6/3/एनसीएससी/2011-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 9 फरवरी, 2011

वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक 31-01-2011 को** 12.30 **बजे अपराह्न** आयोजित आठवीं बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

(एस.एन. मीणा)
भारत सरकार के अवर सचिव

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्री राजू परमार, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

संयुक्त सचिव के निजी सहायक

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करें :-

1. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक (प्रशा.)
2. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)
3. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव (एसएसडब्ल्यू)
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव (प्रशा.)
5. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव (एपीसीआर)
6. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू)

(एस.एन. मीणा)
भारत सरकार के अवर सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आठवीं बैठक डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष की अध्यक्षता में **दिनांक़ 31-01-2011 को** 12.30 **बजे अपराह्न** आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी । प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध–I** पर है ।

आयोग ने निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया:-

कार्यसूची की मद संख्या 1: **आयोग की दिनांक** 10–01–2011 **को आयोजित छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना ।**

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 10-01-2011 को आयोजित छठी बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 21-01-2011 (प्रति **अनुबंध–**1.1 पर संलग्न है) को परिचालित कर दिया गया था ।

कार्यसूची की मद संख्या 2: **आयोग की दिनांक** 10–01–2011 **को आयोजित छठी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।**

आयोग की दिनांक 10-01-2011 को आयोजित छठी बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट किया और आयोग द्वारा उसे अनुमोदित किया गया ।

कार्यसूची की मद संख्या 3: **अनुसूचित जातियों के लिए क्रिमीलेयर के रूप में लागू आय सीमा को समाप्त किया जाए ।**

आयोग में मामले पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि दिनांक 1-7-2010 से प्रभावी 2 लाख रुपए की आय सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए । कोई आय सीमा लागू नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक को, उसकी आय को ध्यान में न रखते हुए, छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाना चाहिए । आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि अनुसूचित जातियों की आय सीमा को हटाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया जाना चाहिए । (**कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू**)

कार्यसूची की मद संख्या 4: अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में प्रवेश के समय छात्रवृत्ति दी जाए ।

इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई और आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश की हैं :-

(i) जैसा कि सरकार द्वारा स्वयं प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, इसलिए प्रवेश के समय विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए । यदि किसी कारणवश विद्यार्थी प्रवेश शुल्क जमा कर देता है तो उसकी एक माह के भीतर प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए ।

(ii) यदि कोई संस्था अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क लेती है तो उस संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए । यदि इस संबंध में किसी विद्यार्थी का शोषण किया जाता है तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(iii) राज्य सरकारों को विद्यार्थी के प्रवेश लेने से एक माह के भीतर छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए और अनुसूचित जाति के विद्यार्थी के बैंक खाते में प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को छात्रवृत्ति की राशि जारी कर देनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े । आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को ए.टी.एम. कार्डस दिए जाने के आदर्श (मॉडल) को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भी अपनाया जाए । इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई कार्यविधि का विवरण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से प्राप्त किया जाए ।

(iv) आयोग यह भी सिफारिश करता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और राज्य सरकारों को सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए किसी आय सीमा को लागू किए बिना पर्याप्त निधि आबंटन के लिए लिखा जाना चाहिए । (**कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू**)

कार्यसूची की मद संख्या 5: माननीय सदस्य (आर.पी.) ने प्रस्ताव रखा कि उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समीक्षा बैठकें की जाएं ।

इस मुद्दे पर सदस्यों के बीच विचार-विमर्श हुआ । माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विद्यमान प्रथा के अनुसार सम्पूर्ण आयोग द्वारा राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की जाएगी । उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि प्रश्नावली का आशोधन/अद्यतन करने के उपरान्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

सूचना उपलब्ध कराने के लिए भेजा जाना चाहिए । आयोग अपनी सुविधानुसार राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा । (**कार्रवाई: समन्वय प्रकोष्ठ**)

कार्यसूची की मद संख्या 6: **अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद ।**

(i) **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के हॉस्टलों की स्थिति:–** बैठक के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के हॉस्टलों के प्रबंधन के मुद्दे पर चर्चा हुई । माननीय अध्यक्ष ने कहा कि जो विद्यार्थी हॉस्टलों में रहते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति नहीं दे रही है । उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के हॉस्टलों में रसोई की सुविधा नहीं है या यह अपर्याप्त है । उन्होंने चाहा कि इस तरह के सभी हॉस्टलों की कार्य प्रणाली पर एक अध्ययन किया जाना चाहिए । माननीय सदस्य (एल.पी.के.) ने सुझाव दिया कि हॉस्टलों में एल.पी.जी. और एक कॉमन रसोई की सुविधा दी जानी चाहिए । माननीय अध्यक्ष ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि हॉस्टलों में वार्डन, कुक आदि जैसे स्टाफ भी पर्याप्त नहीं हैं । (**कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू**)

(ii) आयोग ने यह निर्णय लिया कि अब से सम्पूर्ण आयोग की बैठक पाक्षिक आधार पर होगी । तथापि, माननीय अध्यक्ष के कक्ष में आयोग विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए एक सोमवार को छोड़कर दूसरे सोमवार को बैठक करेगा । (**कार्रवाई: समन्वय प्रकोष्ठ**)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध -I

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 31-01-2011 को अपराह्न 12.30 बजे आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आठवीं बैठक ।

उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी

क्र.सं. ***नाम एवं पदनाम***

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

अधिकारी

1. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक
2. डॉ. वी.के. राठी, निदेशक
3. श्री एस.केसवा अय्यर, उप सचिव
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव
5. श्री लोखन मरन्डी, अवर सचिव
6. श्री कौशल कुमार, उप निदेशक